संख्याः 2320 /XII(1)/14–92(08)/2004 TC-I

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
गन्ना विकास/ग्राम्य विकास/सिचाई/कृषि/समाज कल्याण/
जलागम/भूमि विकास एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून दिनाँकः 2। अक्टूबर, 2014

विषयः पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत बहुउद्देश्यीय कर्मियों के रूप में तैनात कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतीराज अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 3583/XII(1)/2013–92(08)/2004 TC-1, दि॰ 13.12.2013 में एवं शासनादेश संख्याः 1255/XII(1)/2014–92(08)/2004 TC-1, दि॰ 02.07.2014 के माध्यम से पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में तैनात बहुउद्देश्यीय कार्मिकों को तत्काल पंचायतीराज विभाग से उनके मूल विभाग में कार्यमुक्त करते हुए वापस किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका अनुपालन शत–प्रतिशत समस्त जनपदों द्वारा किया गया है।

2. पंचायतीराज विभाग के उपरोक्त शासनादेशों के विरूद्ध बहुउद्देश्यीय कार्मिकों द्वारा मा॰ उच्च न्यायालय, नैनीताल में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गयी, जिसको मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा क्लब करते हुए रिट पिटीशन संख्याः 111/2014 (एस॰/एस॰) अश्विनी कुमार बनाम राज्य व अन्य में दि॰ 16.09.2014 को निर्णय पारित करते हुए समस्त रिटों को खारिज कर 03 सप्ताह का समय निर्धारित करते हुए पैतृक विभाग (मूल विभाग) में कार्यभार ग्रहण किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा॰ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2320 (1)/ XII(1)/14–92(08)/2004 TC-I, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।
3. आयुक्त, गन्ना विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

4. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी।
6. निदेशक, कृषि विभाग, देहरादून।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य अभियंता, सिचाई/नलकूप विभाग, देहरादून।
9. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्याः 1255 / XII(1) / 2014–92(08) / 2004 टी.सी.–1

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : 02 जुलाई, 2014

विषयः पंचायतीराज विभाग में तैनात बहुउद्देशीय कर्मियों को मूल विभाग यथा ग्राम्य विकास विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, सिंचाई विभाग / नलकूप एवं भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग में वापस किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 3583 / XII(1) / 2013–92(08) / 2004 टी.सी.–1,दिनांक 13.12.2013 के माध्यम से पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में तैनात बहुउद्देशीय कार्मिकों को सम्यक विचारोपरान्त उनके मूल विभाग में वापस किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था, किन्तु तत्समय त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव 2014 के दृष्टिगत उक्त आदेश को शासनादेश संख्या 3683 / XII(1) / 2013–92(08) / 2004 टी.सी.–1, दिनांक 31.12.2013 द्वारा दिनांक 01.04.2014 तक स्थगित रखा गया था।

2. चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव 2014 सम्पन्न हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 3583 / XII(1) / 2013–92(08) / 2004 टी.सी.–1,दिनांक 13.12.2013 में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न जनपदों में तैनात बहुउद्देशीय कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(विनोद फोनिया),
सचिव।

संख्याः / XII(1) / 2014–92(08) / 2004 टी.सी.–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, सिंचाई विभाग / नलकूप, कृषि विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गन्ना विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या 3583/XII/2013/92(08)/2004टीसी

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज निदेशालय
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर,2013

विषय– पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत तैनात बहुउद्देशीय कर्मियों को मूल विभाग विकास विभाग, कृषि विभाग,स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, सिचाई विभाग/नलकूप भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग में वापस किये जाने संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–231/7–पं0/बहु0क0/स्थगत/2003–04 20 सितम्बर,2003 शासनादेश संख्या–60/प्र0स0/पंचा0/2003,दिनांक 28 सितम्बर, 20[illegible] संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– विभिन्न रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेशों के दृष्टि विषयान्तर्गत आवृत्त बहुउद्देशीय कर्मियों को अपने मूल विभाग के विभागाध्यक्ष को योगदान के लिए कार्यमुक्त करने की अपेक्षानुसार ग्राम पंचायत के कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न न की दशा में जिन कर्मियों द्वारा मूल विभाग में योगदान नहीं किया गया था उन कार्मिक यथावत् बने रहने एवं शासन के अग्रिम आदेशों तक ग्राम पंचायत में पूर्ववत् कार्यरत रहने आदेश निर्गत किये गये थे।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत पंचायत विकास अधिकारियों के ढॉचे का पुनर्गठन कर कुल 1175 पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती लगभग 703 सभी जनपदों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई वर्तमान में बहुउद्देशीय के रूप में कार्यरत अन्य विभाग यथा ग्राम्य विकास विभाग, सिंचाई विभाग/नलकूप विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गन्ना विभाग, समाज कल्याण विभाग भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के कार्मिकों को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अपने–अपने मूल विभाग में वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– अतः तद्नुसार समस्त विभागों के कार्मिकों को अपने मूल विभाग में वापिस किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

3583

संख्या   /XII/2013/92(08)/2004 टीसी–I, तददिनांक 13-12-2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, सिंचाई विभाग/नलकूप, कृ स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं भूमि विकास एवं जल विभाग उत्तराखण्ड शासन

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

3– समस्त, जिला पंचायतराज अधिकारी उत्तराखण्ड।

4– संयुक्त निदेशक पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से,

(सी0एस0नपलच्याल,

अपर सचिव